



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर  
शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in)

क्रमांक/५५५/०८/२०१७/प.गो.

रायपुर, दिनांक ०८-०३-२०१८

-:: विज्ञापित ::-


छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक ०५/२०१७/परीक्षा/दिनांक १२.०४.२०१७ प्रकाशन की तिथि १९.०४.२०१७ द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश के कुल-२५ पद विज्ञापित किए गए थे।

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-२०१७ का आयोजन दिनांक २५ जून २०१७ को किया गया। उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा कुल-२७२ अभ्यर्थियों का व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-२०१७ हेतु प्रावधिक आधार पर चिन्हांकन किया गया था।

आयोग द्वारा दिनांक ११ फरवरी २०१८ को व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-२०१७ का आयोजन किया गया। उक्त परीक्षा के विज्ञापित पदों का ०३ गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकन किया जाना था, परंतु वर्गवार/उपवर्गवार चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति होने के कारण कुल-८३ अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित हुए।

व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा-२०१७ हेतु साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी।

उपर्युक्त परीक्षा के लिखित परीक्षा परिणाम आयोग के वेबसाईट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर जारी (अपलोड) कर दिए गए हैं।

  
परीक्षा नियंत्रक  
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
रायपुर



## छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in)

क्रमांक / 442 / 08 / 2017 / प.गो.

रायपुर, दिनांक 08-03-2018

### लिखित परीक्षा परिणाम

#### व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2017

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2017/परीक्षा/दिनांक 12.04.2017 प्रकाशन की तिथि 19.04.2017 द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश के कुल-25 पद विज्ञापित किए गए थे। दिनांक 25 जून 2017 को ऑनलाईन आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2017 के प्राप्तांकों व वर्गवार/उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल-272 अभ्यर्थियों को व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2017 हेतु चिन्हांकित किया गया था।

आयोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2018 को आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2017 के परीक्षा परिणाम के आधार पर प्राप्तांकों व वर्गवार/उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल-83 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है, जिनके अनुक्रमांक बढ़ते क्रम में निम्नानुसार हैं:-

1705100101	1705100143	1705100183	1705100249	1705100329
1705100360	1705100389	1705100400	1705100427	1705100454
1705100496	1705100499	1705100516	1705100524	1705100593
1705100641	1705100656	1705100726	1705100810	1705100845
1705100852	1705100886	1705100932	1705100947	1705101064
1705101096	1705101108	1705101115	1705101133	1705101312
1705101347	1705101410	1705101434	1705101435	1705101537
1705101614	1705101621	1705101765	1705101805	1705101831
1705101850	1705101879	1705101880	1705101907	1705102037
1705102086	1705102096	1705102157	1705102199	1705102217
1705102237	1705102298	1705102422	1705102457	1705102634
1705102852	1705102853	1705102901	1705102925	1705103083
1705103156	1705103322	1705103409	1705103480	1705103688
1705103704	1705103740	1705103808	1705103810	1705103834
1705104015	1705104162	1705104255	1705104508	1705104720
1705104807	1705104836	1705104859	1705104871	1705104944
1705105146	1705105185	1705105260	X	X

कुल संख्या-83



टीप:-

1. व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2017 के आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु उपर्युक्तानुसार चिन्हांकित अभ्यर्थियों की अर्हता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2017/परीक्षा/दिनांक 12.04.2017 प्रकाशन की तिथि 19.04.2017 की समस्त कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों के अधीन होगी।
2. किसी वर्ग अथवा उपवर्ग में चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी भी साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किए जाते हैं।
3. साक्षात्कार हेतु उक्त अभ्यर्थियों का चिन्हांकन पूर्णतः प्रावधिक है तथा चिन्हांकन/चयन के किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने पर आयोग द्वारा अनर्ह घोषित कर चिन्हांकन/चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।
4. व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा-2017 के साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी।
5. उक्त परीक्षा के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाईट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) का नियमित अवलोकन करते रहें।
6. उपर्युक्तानुसार घोषित लिखित परीक्षा परिणाम में अंकण/टंकण/मुद्रण/प्रक्रिया संबंधी त्रुटि होने पर आयोग में संधारित मूल डाटा के आधार पर तैयार सूची ही मान्य होगी एवं तदनुसार लिखित परीक्षा परिणाम संशोधित किया जा सकेगा।

(छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)

  
08/3/18  
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
रायपुर